न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री अरूणकुमार पुरोहित,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 20/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025/135

प्रार्थी

सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल उम्र 53 वर्ष
जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम
सातलास तहसील मेड़ता सिटी जिला
नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. केली पत्नि खेताराम, जाति जाट निवासी ऊँचारड़ा खुर्द तहसील मेड़ता जिला नागौर ।
2. मांगूराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी सातलावास तहसील मेड़ता जिला नागौर ।
3. गीता देवी पत्नि मांगीलाल उम्र 75 वर्ष
4. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल उम्र 50 वर्ष
5. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल उम्र 48
6. रामी पुत्री मांगीलाल उम्र 45 वर्ष
7. उर्मिला उर्फ इन्द्रा पुत्री मांगीलाल उम्र 43 वर्ष जातियान ब्राहम्ण, निवासीगण सातलावास, तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर ।
8. तहसीलदार, मेड़ता ।
9. पटवारी हल्का सातलवास ।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री लहरीसिंह खोजा ।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
3. अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।

:: **आदेश** :: **दिनांक :–07.11.2025**

1– प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में विचाराधीन प्रकरण राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 130/2024 बअनवान केली बनाम मांगूराम व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना–पत्र पर पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा ने वकालतनामा एवं जबाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली हैं।

3– अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की ओर राजपेरोकार उपस्थित ।

4– अप्रार्थी संख्या 08 की ओर से प्रकरण में पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जो पत्रांक/कोर्ट/2025/77 दिनाक 12.09.2025 से प्राप्त हुई हैं,जो संलग्न पत्रावली हैं।

5– वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

(1) विद्वान वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी व अन्य पक्षकारों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हैं,जो प्रकरण संख्या 130/2024 पर दर्ज होकर केली बनाम मांगूराम के नाम से विचाराधीन है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां हमारे द्वारा पेश की हैं। प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुवे अप्रार्थी श्रीमती केली व उसके पति खेताराम,प्रार्थी व उसके परिवार को ऐलानियां धमकी देते हैं कि

कलक्टर नागौर

न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूनम हमारे रिश्तेदार होने के कारण हम लोग इस प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में एवं आपके खिलाफ करवा कर रहेगे। अप्रार्थी के इन कथनों की ओर पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया परन्तु जब प्रार्थी उक्त प्रकरण की तारीख पेशीयॉ के लिए मेड़ता न्यायालय मे आता तो अप्रार्थी संख्या 1 के पति खेताराम को एस.डी.एम. साहब के चेम्बर में आते–जाते देखा एवं उनसे वार्तालाप करते देखा तब इस सम्बन्ध में जानकारी ली तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 व पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूनम चोयल के मध्य दूर की रिश्तेदारी भी है। इस कारण से प्रार्थी को इस बात की पूर्ण आशंका हो गई कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के साथ कभी न्याय नहीं कर पायेगें । इसी के मध्यनजर प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण में तारीख पेशीयॉ नजदीक दी जा रही हैं एवं येन केन प्रकरेण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय किये जाने की पूर्ण संभावना बनी हुई हैं।

प्रार्थी को इस प्रकार की आंशका हुई तो प्रार्थी ने दिनांक 22.07.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है परन्तु उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया और उक्त आवेदन प्रस्तुत होने के बाद भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है जो स्पष्ट रूप से ये दर्शित करता है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने की चेष्टा है।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी तर्क हैं कि विधि का सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये। प्रार्थी के मुन्तकिल आवेदन प्रस्तुत होने के बाद में भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में रूचि लेकर निर्णय करने का मानस हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये ।

इस प्रकार की प्रकिया से पीठासीन अधिकारी से इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाने की कोई संभावना नहीं हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थी का उक्त आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 130/2024 बअनवान केली बनाम मांगूराम व अन्य अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की पत्रावली तलब की जाकर किसी अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

(2)–विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का आवेदन संख्या 130/2024 केली बनाम मांगूराम विचाराधीन जरूर हैं परन्तु उक्त पत्रावली को मुन्तकिल करवाने का प्रार्थना–पत्र सरासर गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उपखण्ड अधिकारी श्रीमती पूनम चोयल अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तेदार होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पति खेताराम द्वारा फैसला खिलाफ करवाने की ऐलानिया धमकी देने के आरोप लगाये हैं,जबकि उपखण्ड अधिकारी न तो हमारी कोई रिश्तेदार हैं एवं न ही हमने ऐसी कोई धमकियां प्रार्थी को दी हैं। प्रार्थना–पत्र में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं हमारे विरूद्ध झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किये हैं,केवल मात्र तथ्य प्रकट करने से कोई आरोप सिद्व नहीं माने जा सकते हैं। प्रार्थी को इन आरोपों को साक्ष्य से साबित करना होता हैं परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं की हैं। प्रार्थी केवल प्रकरण को लम्बा करना चाहता हैं एवं इसी उद्देश्य से यह आवेदन पेश किया गया जो खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि प्रार्थी ने यह आरोप भी लगाये हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में आते–जाते और वार्तालाप करते हुए देखा हैं,जबकि वास्तविकता यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के पती कभी भी पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में नहीं गये एवं न ही माननीय न्यायालय के पीठासीन से उनके कोई रिश्तेदारी हैं। प्रार्थी ने गलत आशंका जाहिर कर पीठासीन अधिकारी

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

7.11.25
कलक्टर नागौर

व अप्रार्थी के विरूद्व गलत आक्षेप लगा कर यह आवेदन पेश किया हैं। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर प्रकरण में तारीख पेशीयां नजदीक देने का आरोप भी झूठा लगाया हैं,जबकि वास्तविकता यह हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण पत्रावली में निष्पक्ष रूप से विधिनुसार कार्यवाही करके फाईल निर्णय हेतु रखी हुई हैं। प्रकरण पत्रावली को लम्बित रखने व अनावश्यक देरी करने के दुराशय से सलाह मशविरा करके पीठासीन अधिकारी सहित अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व गलत आक्षेप लगाकर यह मिथ्या आवेदन–पत्र पेश किया हैं,जिसे खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी बार–बार बिना किसी आधार के मिथ्या आक्षेप लगा रहा हैं। यहां यह तथ्य भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी शिकायती प्रवृति का व्यक्ति हैं जो एस.डी.एम. साहब,राजस्व अपील अधिकारी महोदय एवं भू0अभिलेख निरीक्षक वगैराह सभी को अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तेदार होना बता कर बार–बार झूठी शिकायते करके परेशान करता रहा हैं तथा अप्रार्थी के प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखवाना चाहता हैं। प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के पीठासीन अधिकारी सोनगरा जी के विरूद्ध भी गलत आक्षेप लगाकर पत्रावली मुन्तकिल करने का राजस्व मण्डल, अजमेर में आवेदन पेश किया था,जिसको माननीय न्यायालय ने झूठा मानते हुए खारिज करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए हैं,जिसके निर्णय की प्रति हमने पत्रावली में प्रस्तुत की हैं। मूल प्रकरण में तीन चार बार सीमाज्ञान की रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है,बावजूद आदेश की पालना नहीं करवा कर जानबूझ कर आपत्ति लगाई जा रही हैं। प्रकरण में सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 को तैयार की गई थी जो राजस्व विभाग के भू0अभिलेख निरीक्षक,मौकाला,पटवारी मौकाला,पटवारी उंचाईड़ा एवं पटवारी सातलावास की टीम द्वारा तैयार की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 पत्थरगढ़ी अपने खेत की ही करवा रहा हैं,प्रार्थी के खेत की तरफ नहीं करवा रहा हैं फिर भी हर बार इसमें आपत्ति करके विधिक कार्यवाही को बाधित कर रहा हैं,जबकि अप्रार्थीया चाहती हैं कि विधिवत सीमा का नाप चोप होकर पत्थरगढ़ी हो जाने से भविष्य में किसी भी पड़ौसी को कोई परेशानी नहीं हो व अप्रार्थी का खेत सुरक्षित हो सके,इस हेतु धारा 128 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं,लेकिन प्रार्थी गलत आक्षेप लगा कर मुन्तकिल आवेदन व अन्य शिकायतों के जरिये कार्यवाही को बाधित कर रहा हैं। यह भी निवेदन हैं कि केवल कोई अधिकारी जाति का हो जाने से रिश्तेदार बता कर उसके विरूद्ध गलत आक्षेप लगाकर कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं ऐसे मिथ्या आक्षेप का मुन्तकिल आवेदन–पत्र कतई पोषणीय नहीं हैं। इस तरह तो प्रकरण की सुनवाई में हर किसी अधिकारी जी,आप श्रीमान् व अन्य के विरूद्व आक्षेप लगा कर कोई कार्यवाही नहीं होने देगा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी विधिक प्रकिया के तहत प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हैं, इस तरह से रिश्तेदारी के व मिलने वाले होने आदि के झूठे आक्षेप लगा कर कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुऐ ऐसा मुन्तकिल आवेदन पेश करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी के इस तरह के कृत्यों से अप्रार्थी संख्या 1 को भारी क्षति हो रही हैं क्योंकि इस तरह के झूठे विवाद की वजह से 2 वर्षों से अप्रार्थी का खेत बिना काश्त किये हुऐ खाली पड़ा हैं,अप्रार्थी कोई काश्त नहीं कर पा रही हैं जिसका कारण यह हैं कि जो रास्ता न्यायालय ने घोषित किया हैं उस रास्ते के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,नागौर से स्टे करवा दिया हैं एवं फिर राजस्व अपील अधिकारी के विरूद्ध ही झूठे आक्षेप लगाकर स्टे को यथावत बनाये रखने के लिए मुंतकिल याचिका माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की थी जिसमें वहां उनको सफलता नहीं मिली तो न्यायालय हाजा में यह मिथ्या आवेदन पेश किया हैं तथा लगातार सभी अधिकारियों के विरूद्ध झूठे आरोप बिना किसी आधार के लगाये जा रहे हैं। इस प्रकार के आरोपों से न्यायालय में कार्यवाही में विलम्ब होता हैं तथा न्यायालय के विश्वास पर संशय पैदा होता हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन–पत्र सरासर गलत,विधि विरूद्ध,बिना किसी साक्ष्य,

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

7.11.25

कलक्टर नागौर

बिना किसी आधार के बदनियती से पेश किया हुआ होने से भारी कोस्ट राशि के साथ खारिज फरमाया जावें।

(3)–राजपेरोकार ने बहस में तर्क किया कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विधिसम्मत् कार्यवाही कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये हैं। इस प्रकार के बिना किसी साक्ष्य के झूठे कयास के आरोपों के आधारों पर प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाता हैं तो न्याय व्यवस्था में व्यावधान पैदा होता हैं और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती हैं तथा बिना ठोस आधारो पर मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने से न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हको की आड़ में दुरूपयोग को बढ़ावा मिलता हैं। प्रकरण के निर्णय में बिलम्ब होगा तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के न्याय के प्रति आत्मविश्वास में विपरित प्रभाव पड़ेगा। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

6– बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की संभावना प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रकट की हैं तथा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपना शपथ–पत्र भी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया हैं। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी पत्रांक/77 दिनांक 12.09.2025 से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य विवरणात्मक होना अंकित करते हुए यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी को यदि न्यायालय हाजा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हैं तो पत्रावली अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित की जावें तो कोई आपत्ति नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की इस टिप्पणी अनुसार प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने पर उनको भी कोई आपत्ति नहीं हैं। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता हैं कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं हैं अपितु न्याय किये जाने का आभास पक्षकारों को होना भी चाहिए। इसी उद्देश्य से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में विचाराधीन प्रार्थना–पत्र संख्या 130/2024 बअनवान केली बनाम मांगूराम दफा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी में मुन्तकिल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभय पक्षकारों को आदेश दिया जाता हैं कि प्रकरण की अग्रिम सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी में दिनांक 18.11.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त प्रकरण की पत्रावली अग्रिम सुनवाई/ कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी में अविलम्ब भिजवाया जावें। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर